



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 01 वर्ष 01 माह का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2022 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त लोधे सिंह पुत्र कल्याणसिंह निवासी छानी बुजुर्ग, थाना बिवार, जनपद हमीरपुर को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध हुए 01 वर्ष 01 माह का कारावास व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
प्रवीण कुमार भदौरिया



विवेचक-  
उ0नि0 रामलोटन  
पाण्डेय



पैरोकार  
थाना- बिवार  
का0 श्रीकांत राजपूत